बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

पत्रांक–प्र0–33 / 11KV लाईन जीर्णोधार–28 / 2017 पटना, दिनांक–

प्रेषक,

प्रत्यय अमृत,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना ।

विषयः– **नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 के क्षेत्राधीन पूर्व से स्थापित वितरण प्रणाली के अंतर्गत 33 के0 भी0, 11 के0 भी0, निम्न विभव लाईन के जीर्णोद्धार एवं नवीकरण करने हेतु 1652.14 करोड़ (एक हजार छः सौ बावन करोड़ चौदह लाख) रूपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु पूर्व में उपलब्ध कराये गये राशि के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2019–20 में पुनः 100.00 करोड़ (एक सौ करोड़) रूपये नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 को भुगतान करने हेतु आवंटन की स्वीकृति।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय राज्यादेश संख्या–2335 दिनांक–02.09.2019 के आलोक में नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 के क्षेत्राधीन पूर्व से स्थापित वितरण प्रणाली के अंतर्गत 33 के0 भी0, 11 के0 भी0, निम्न विभव लाईन के जीर्णोद्धार एवं नवीकरण करने हेतु 1652.14 करोड़ (एक हजार छः सौ बावन करोड़ चौदह लाख) रूपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु पूर्व में उपलब्ध कराये गये राशि के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2019–20 में पुनः 100.00 करोड़ (एक सौ करोड़) रूपये नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 को भुगतान करने हेतु आवंटन स्वीकृत एवं विमुक्त किया जाता है।

2. उक्त राशि मांग सं0–10, मुख्य शीर्ष 4801–बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय–उप मुख्य शीर्ष–05 संचरण तथा वितरण लघु शीर्ष–190 सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश, उपशीर्ष–0111–बिहार स्टेट पावर (हो0) कं0 लि0 की परियोजना, विपत्र कोड–10–4801.05.190.0111, विषय शीर्ष–5401–निवेश के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

आवंटन की स्थिति निम्न प्रकार है :–

बजट उपबंध	पूर्व में आवंटित राशि	वर्त्तमान में आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि	बजट उपबंध की शेष राशि
19581300000.00	1977050000.00	1000000000.00	2977050000.00	16604250000.00

3. इस राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जाएगी।

4. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.98 के आलोक में निर्गत किया जाता है तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी से अनुरोध है कि राशि की निकासी के पूर्व सारी प्रक्रियाओं को पूरी करने के बाद ही इस राशि की निकासी करेंगे। यह राशि उस मद में कुल उपबंधित राशि के अधीन है।

5. आवंटित राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि के साथ संबंधित इकाई के कोड संख्या का भी उल्लेख करेंगे तथा विपत्र पर चिन्हित राशि बजट उपबन्ध के अन्तर्गत होने का प्रमाण–पत्र भी अंकित करेंगे।

6. इस राशि की निकासी उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा CFMS के माध्यम से सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 के व्यक्तिगत लेखा खाता (पी०एल० खाता) के मुख्य शीर्ष 8448–स्थानीय निधियों की जमा, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–120–अन्य निधियाँ, उपशीर्ष–0048–नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0, व्यय शीर्ष–L8448001200048 एवं प्राप्तियाँ–K–8448001200048 में जमा की जाएगी।

7. नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 द्वारा राशि की निकासी कोषागार में खोले गए पी०एल० खाता संख्या PLA276 से की जाएगी।

विश्वासभाजन,

ह0/–
(प्रत्यय अमृत)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–प्र0–33/11KV लाईन जीर्णोधार–28/2017 /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः–कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/ महालेखाकार (लेखा परीक्षा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–प्र0–33/11KV लाईन जीर्णोधार–28/2017 102 /पटना, दिनांक– 05/07/19

प्रतिलिपिः–लेखा शाखा (तीन प्रतियों में), ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना/विभागीय बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/प्रबंध निदेशक, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0/बजट शाखा, वित्त विभाग/राजस्व शाखा, वित्त विभाग/प्रशाखा–7, वित्त विभाग, पटना/आई0टी0 मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।